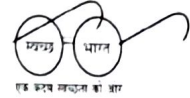




CENTRAL COALFIELDS LIMITED

(A Mini Ratna Company)
OFFICE OF THE PROJECT OFFICER
PAREJ EAST OPENCAST PROJECT



Ref. No. PO/PEOCP/Forest/2019-20/ 3660

Date:- 1/9/19

FRA/NOC

Vide letter no. PO/PEOCP/18/2915, dated: - 03/10/2018 undertaking has been submitted for submission of FRA/NOC. However, the same has been issued vide Ref. No. 388, dated: 13.05.2019 by Deputy Commissioner, Ramgarh, which has been enclosed herewith.

(A. C. Dey)

Agent/Project officer

Parej East OCP
Hazaribagh Area

PROJECT OFFICER
Parej East OCP

FORM-II
(for projects other than linear projects)
Government of Jharkhand
Office of the District Collector, Ramgarh

No. 388Dated 19.05.19

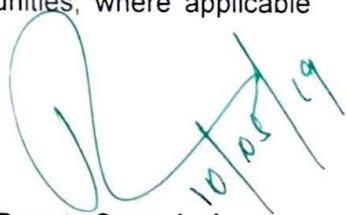
TO WHOM SOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No.11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 ('FRA', for short) on the Forest Land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **56.04 Hectares (138.47 Acres)** of Jangal Jhari proposed to be diverted in favour of **Parej East Open cast Project for Expansion** (purpose for diversion of forest land/JJ land) in **Ramgarh** district falls within jurisdiction of **Parej** village(s) in **Ramgarh** tehsils.

It is further certified that :

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **56.04 Hectares (138.47 Acres)** of Jangal Jhari area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as **annexure-I**
- (b) the proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who eligible under the FRA.s
- (c) the each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities/processes under the FM have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of **Parej** village(s) is enclosed as **annexure-I**
- (d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it;
- (f) the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1)(e) of FRA.

Encl : As above


Deputy Commissioner
Ramgarh

FORM-II
(for projects other than linear projects)
Government of Jharkhand
Office of the District Collector, Ramgarh

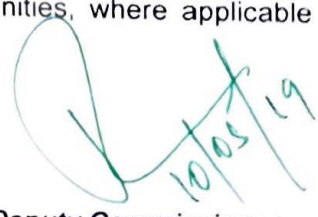
No. 389Dated 13.05.19**TO WHOM SOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No.11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 ('FRA', for short) on the Jangal Jhari proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **10.66 Hectares (26.35 Acres)** of Jangal Jhari proposed to be diverted in favour of **Parej East Open cast Project for Expansion** (purpose for diversion of forest land/JJ land) in **Ramgarh** district falls within jurisdiction of **Barughutu** village(s) in **Ramgarh** tehsils.

It is further certified that :

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **10.66 Hectares (26.35 Acres)** of Jangal Jhari area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as **annexure-I**
- (b) the proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who eligible under the FRA.s
- (c) the each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities/processes under the FM have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of **Barughutu** village(s) is enclosed as **annexure-I**
- (d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it;
- (f) the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1)(e) of FRA.

Encl : As above


Deputy Commissioner
Ramgarh

FORM-II
(for projects other than linear projects)
Government of Jharkhand
Office of the District Collector, Ramgarh

No. 390Dated 13.05.19**TO WHOM SOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No.11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 ('FRA', for short) on the Forest Land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 2.71 Hectares (6.70 Acres) of Forest Land and 31.59 Hectares (78.05 Acres) of Jangal Jhari Total **34.30 Hectares (84.75 Acres)** of Forest Land & Jangal Jhari proposed to be diverted in favour of **Parej East Open cast Project for Expansion** (purpose for diversion of forest land/JJ land) in **Ramgarh** district falls within jurisdiction of **Durukasmar** village(s) in **Ramgarh** tehsils. It is further certified that :

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.71 Hectares (6.70 Acres) of Forest Land and 31.59 Hectares (78.05 Acres) of Jangal Jhari Total **34.30 Hectares (84.75 Acres)** of Forest Land & Jangal Jhari area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as **annexure-I**
- (b) the proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who eligible under the FRA.s
- (c) the each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities/processes under the FM have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of **Durukasmar** village(s) is enclosed as **annexure-I**
- (d) the discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it;
- (f) the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1)(e) of FRA.

Encl : As above


Deputy Commissioner
Ramgarh

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय रामगढ़ (कल्याण शाखा)

दिनांक 20.02.2019 को श्रीमती राजेश्वरी बी०, (भा०प्र०से०) उपायुक्त, रामगढ़ के अध्यक्षता में जिलास्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक की कार्यवाही :-

आज दिनांक 20.02.2019 को उपायुक्त, रामगढ़ के अध्यक्षता में जिलास्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक उपायुक्त के कार्यालय कक्ष में 5:00 बजे अपराह्न में सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारी/सदस्य उपस्थित हुए :-

उपस्थिति :- पंजी के अनुसार

कार्यवाही :- अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़-सह-अध्यक्ष अनुमण्डलस्तरीय वनाधिकार समिति, रामगढ़ के पत्रांक 141/सा०, दिनांक 02.02.2019 एवं पत्रांक 202/सा०, दिनांक 15.02.2019 के द्वारा अनुमण्डलस्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक दिनांक 02.02.2019 एवं 15.02.2019 को हुई, जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया है एवं जिलास्तरीय वन अधिकार समिति को प्राप्त है। जो निम्नवत् है :-

भूमि का विवरणी।

अंचल-माण्डू

क्र०	परियोजना का नाम	ग्राम	थाना संख्या	खाता संख्या	प्लॉट	भूमि का किस्म		कुल रकबा (ए०में)
						वन भूमि (ए०में)	गै०म०खा० जंगल (ए०में)	
1.	ग्राम-परेज बारुघुटू एवं दुरुकसमार में परेज पूर्वी ओपेन कास्ट परियोजना के विस्तारीकरण हेतु	परेज	117	01	1	—	20.66	20.66
					2	—	8.75	8.75
					7	—	8.76	8.76
					8	—	1.39	1.39
					9	—	2.91	2.91
					10	—	3.80	3.80
					21	—	1.54	1.54
					88	—	0.38	0.38
					143	—	0.03	0.03
					171	—	7.66	7.66
					175	—	8.27	8.27
					185	—	0.38	0.38
					203	—	5.59	5.59
					205	—	13.41	13.41
					212	—	0.21	0.21
					219	—	0.04	0.04
					221	—	0.13	0.13
					231	—	20.22	20.22
					265(P)	—	29.63	29.63
					266(P)	—	4.71	4.71
कुल रकबा								138.47 ए० या 56.04 हे०

20/2/19

20/2/19

[Signature]

[Signature]

क्र०	परियोजना का नाम	ग्राम	थाना संख्या	खाता संख्या	प्लॉट	भुगि का किस्म		कुल रकब (ए०में)
						वन भूमि (ए०में)	गै०म०खा० जंगल (ए०में)	
2.	ग्राम-परेज बारुघुटू एवं दुरुकसमार में परेज पूर्वी ओपेन कारस्ट परियोजना के विस्तारीकरण हेतु	बारुघुटू	118	48	01	—	18.47	18.47
					14(P)	—	0.08	0.08
					32	—	1.57	1.57
					43	—	3.75	3.75
					59	—	0.12	0.12
					66	—	0.03	0.03
					76	—	1.48	1.48
					78	—	0.39	0.39
					85	—	0.46	0.46
कुल रकबा								26.35 ए० र 10.66 हे०

क्र०	परियोजना का नाम	ग्राम	थाना संख्या	खाता संख्या	प्लॉट	भूमि का किस्म		कुल रकब (ए०में)
						वन भूमि (ए०में)	गै०म०खा० जंगल (ए०में)	
3.	ग्राम-परेज बारुघुटू एवं दुरुकसमार में परेज पूर्वी ओपेन कास्ट परियोजना के विस्तारीकरण हेतु	दुरुकसमार	108	61	48	-	0.31	0.31
					50	-	0.48	0.48
					303	-	0.34	0.34
					305(P)	-	0.30	0.30
					309	-	0.82	0.82
					314	0.50	11.16	11.66
					326	6.20	4.51	10.71
					328	-	12.10	12.10
					339	-	0.17	0.17
					01	-	14.80	14.80
					33	-	0.20	0.20
					35	-	0.48	0.48
					47	-	0.14	0.14
					62	-	1.23	1.23
					64	-	0.30	0.30
					71	-	0.42	0.42
					74	-	0.09	0.09
					99	-	0.19	0.19
					113	-	7.50	7.50
					227	-	0.24	0.24
					232	-	0.34	0.34
					239	-	0.80	0.80
					240	-	0.85	0.85
					252	-	0.36	0.36
					266	-	0.25	0.25
					302	-	0.28	0.28
					384	-	0.13	0.13
					387	-	0.13	0.13

104
20/11/19

20/11/19

10

10

					389	-	0.43	0.43
					396	-	0.69	0.69
					414	-	1.14	1.14
					440	-	15.70	15.70
					489	-	0.48	0.48
					500	-	0.69	0.69
कुल रकबा						6.70 ए० या 2.71 हे०	78.05 ए० या 31.59 हे०	84.75 ए० या 34.30 हे०

उपरोक्त तालिका में अनुमण्डल स्तरीय वनाधिकार समिति से प्राप्त प्रस्ताव को जिला स्तरीय वनाधिकार समिति के द्वारा जाँचोपरान्त सही पाए जाने पर प्रस्ताव को कार्यकारी एंजेन्सी के द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत Online आवेदन समर्पित करने पर जिलास्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा अनापति प्रमाण पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया।

भूमि का विवरणी।

अंचल-माण्डु

क्र०	परियोजना का नाम	ग्राम	थाना संख्या	खाता संख्या	प्लॉट	भूमि का किस्म		कुल रकबा (ए०में)
						वन भूमि (ए०में)	गै०म०खा० जंगल (ए०में)	
1.	ग्राम—दुरुकसमार तापीन एवं परेज में परेज पूर्वी ओपेन कास्ट परियोजना के विस्तारीकरण हेतु	दुरुकसमार	—	61	01	10.20	—	10.20
कुल								10.20 या 04.13 हे०
2.	ग्राम— दुरुकसमार तापीन एवं परेज में परेज पूर्वी ओपेन कास्ट परियोजना के विस्तारीकरण हेतु	तापीन	113	01	395	1.15	—	1.15
					400	1.25	—	1.25
कुल								2.40 ए० या 0.97 हे०
3.	ग्राम— दुरुकसमार तापीन एवं परेज में परेज पूर्वी ओपेन कास्ट परियोजना के विस्तारीकरण हेतु	परेज	117	01	2	13.42	—	13.42
					7	32.26	—	32.26
					1	5.34	—	5.34
					8	1.55	—	1.55
					203	25.22	—	25.22
					205	4.28	—	4.28
					231	3.67	—	3.67
					266	9.21	—	9.21
कुल								94.95 ए० या 38.42 हे०

उपरोक्त तालिका में अनुमण्डल स्तरीय वनाधिकार समिति से प्राप्त प्रस्ताव को जिला स्तरीय वनाधिकार समिति के द्वारा जाँचोपरान्त सही पाए जाने पर प्रस्ताव को कार्यकारी एंजेन्सी के द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत Online आवेदन समर्पित करने पर जिलास्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा अनापति प्रमाण पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया।

22/11/24

22/11/24

22/11/24

22/11/24

भूमि का विवरणी।

अंचल-रामगढ़

क्र०	परियोजना का नाम	ग्राम	थाना संख्या	खाता संख्या	प्लॉट	भूमि का किस्म		कुल रकबा (हे०में)
						वन भूमि (हे०में)	गै०म०खा० जंगल (हे०में)	
2.	ग्राम-ग्राम रउता में DVC रामगढ़ सब स्टेशन से राधा कारस्टिंग एवं मेटालिक (प्राईवेट) लिमिटेड तक 33 के०भी० डबल ट्रांशमिशन लाईन निर्माण हेतु	रउता	146	29	325	—	0.213	0.213
					335	—	0.539	0.539
					336	—	0.225	0.225
कुल								0.977 हे० या 2.414 ए०

उपरोक्त तालिका में अनुमण्डल स्तरीय वनाधिकार समिति से प्राप्त प्रस्ताव को जिला स्तरीय वनाधिकार समिति के द्वारा जाँचोपरान्त सही पाए जाने पर प्राप्त प्रस्ताव को कार्यकारी एंजेन्सी के द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत Online आवेदन समर्पित करने पर जिलास्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा अनापति प्रमाण पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया।

सःधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

जिला कल्याण पदाधिकारी,
रामगढ़।

अपर सभाहस्ता,
रामगढ़।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
रामगढ़।

उपायुक्त,
रामगढ़।



CENTRAL COALFIELDS LIMITED

(A Mini Ratna Company)

OFFICE OF THE PROJECT OFFICER
PAREJ EAST OPEN CAST PROJECT



Ref No: GM (H)/ PEOCP/Environment/2018/ 3468-73

Date: 7/11/18

To,

The Circle Officer,
Mandu Block ,Distt.-Ramgarh(Jharkhand)

Sub: FRA/ NOC for the diversion of 101 Ha Forest Land(98.29 Ha GM JJ &2.71 Ha Notified Forest Land in respect of Parej East OCP of M/S CCL.

Dear Sir,

Vide letter No. GM(H)/PEOCP/ FOREST /NOC/2018/2581-87 Dt. 18/09/2018 FRA/NOC Was applied for Diversion of 101 Ha forest land(98.29Ha GM JJ & 2.71 Ha notified Forest Land) in respect of Parej East OCP. In the land Schedule of the same the Notified Forest land area of 2.71 Ha has been shown in the Village Barughutu due to typing mistake . The Notified forest land area of 2.71 Ha is in Durukasmar revenue Village .The Corrected land Schedule is as shown below:-

The Corrected Village wise land schedule is as follows:

S. No.	Village	Circle	Thana No.	Notified Forest Land (Ha)	GM Jungle Jhadi Land (Ha)	Total Land to be diverted (Ha)
1.	Parej	Mandu	117	0	56.04 Ha	56.04 Ha
2.	Barughutu	Mandu	118	0	10.66 Ha	10.66 Ha
3.	Duru-Kashmar	Mandu	108	02.71 Ha	31.59 Ha	34.30 Ha
			Total	2.71 Ha	98.29 Ha	101.00 Ha

You are requested to do the needful as above and please fix the date of Gram sabha at the earliest and issue FRA/NOC of the above land .

With Regards

Yours faithfully


Project Officer
Parej East OCP

Enclosure: Details of land schedule of above land of Parej East OCP.

Copy to:

1. District Commissioner, Ramgarh for kind information.
2. Additional Collector, Ramgarh for kind information.
3. General Manager, Hazaribagh Area for kind information.
4. S.O. (P&P), Hazaribagh Area
5. Colliery Manager, PEOCP
- ✓ 6. Nodal Officer(Environment), PEOCP
7. Office Copy

DETAILS OF FOREST & GMK JJ LAND
PAREJ EAST OPENCAST PROJECT(As Per RPR)
HAZARIBAGH AREA, CCL

Village	khata No.	Plot No	Land under as per EC proposal No. FP/JH/MIN/35525/2018						
			Notified Forest (Acre)	GM Jungle Jhadi (Acre)	Total	Diverted & Proposed Forest (Acre)	Diverted GMK JJ land (Acre)	Forest land to be diverted (Acre)	GMK JJ to be diverted (Acre)
PAREJ	1	1	5.7	20.66	26.36	5.7	0	0	20.66
PAREJ	1	2	14.1	8.75	22.85	14.1	0	0	8.75
PAREJ	1	7	33.82	8.76	42.58	33.82	0	0	8.76
PAREJ	1	8	1.55	1.39	2.94	1.55	0	0	1.39
PAREJ	1	9	0	2.91	2.91	0	0	0	2.91
PAREJ	1	10	0	3.8	3.8	0	0	0	3.8
PAREJ	1	21	0	1.54	1.54	0	0	0	1.54
PAREJ	1	88	0	0.38	0.38	0	0	0	0.38
PAREJ	1	143	0	0.03	0.03	0	0	0	0.03
PAREJ	1	171	0	7.66	7.66	0	0	0	7.66
PAREJ	1	175	0	8.27	8.27	0	0	0	8.27
PAREJ	7	185	0	0.38	0.38	0	0	0	0.38
PAREJ	1	203	29.50	5.59	35.09	29.50	0	0	5.59
PAREJ	1	205	11.40	13.41	24.81	11.40	0	0	13.41
PAREJ	1	212	0	0.21	0.21	0	0	0	0.21
PAREJ	1	219	0	0.04	0.04	0	0	0	0.04
PAREJ	1	221	0	0.13	0.13	0	0	0	0.13
PAREJ	1	231	7.22	20.22	27.44	7.22	0	0	20.22
PAREJ	1	265P	0	29.63	29.63	0	0	0	29.63
PAREJ	1	266P	9.21	4.71	13.92	9.21	0	0	4.71
TOTAL			112.5	138.47	250.97	112.5	0	0	138.47
Durukasmar	61	48	0	0.31	0.31	0	0	0	0.31
Durukasmar	61	50	0	0.48	0.48	0	0	0	0.48
Durukasmar	61	303	0	0.34	0.34	0	0	0	0.34
Durukasmar	8	305P	0	0.3	0.30	0	0	0	0.3
Durukasmar	61	309	0	0.82	0.82	0	0	0	0.82
Durukasmar	61	314	0.5	11.16	11.66	0	0	0.5	11.16
Durukasmar	61	326	6.2	4.51	10.71	0	0	6.2	4.51
Durukasmar	61	328	0	12.1	12.10	0	0	0	12.1
Durukasmar	61	339	0	0.17	0.17	0	0	0	0.17
Durukasmar	61	1	10.20	14.8	25	10.20	0	0	14.8
Durukasmar	61	33	0	0.2	0.20	0	0	0	0.2
Durukasmar	61	35	0	0.48	0.48	0	0	0	0.48
Durukasmar	61	47	0	0.14	0.14	0	0	0	0.14
Durukasmar	61	62	0	1.23	1.23	0	0	0	1.23
Durukasmar	61	64	0	0.3	0.30	0	0	0	0.3
Durukasmar	61	71	0	0.42	0.42	0	0	0	0.42
Durukasmar	61	74	0	0.09	0.09	0	0	0	0.09
Durukasmar	61	99	0	0.19	0.19	0	0	0	0.19
Durukasmar	61	113	0.00	7.5	7.5	0	0	0	7.5
Durukasmar	61	227	0	0.24	0.24	0	0	0	0.24
Durukasmar	61	232	0	0.34	0.34	0	0	0	0.34
Durukasmar	61	239	0	0.8	0.80	0	0	0	0.8
Durukasmar	61	240	0	0.85	0.85	0	0	0	0.85
Durukasmar	61	252	0	0.36	0.36	0	0	0	0.36

Durukasmar		266	0	0.25	0.25	0	0	0	0.25
Durukasmar	61	302	0	0.28	0.28	0	0	0	0.28
Durukasmar	61	384	0	0.13	0.13	0	0	0	0.13
Durukasmar	61	387	0	0.13	0.13	0	0	0	0.13
Durukasmar	61	389	0	0.43	0.43	0	0	0	0.43
Durukasmar	61	396	0	0.69	0.69	0	0	0	0.69
Durukasmar	61	414	0	1.14	1.14	0	0	0	1.14
Durukasmar	61	440	0.00	15.7	15.7	0.00	0	0	15.7
Durukasmar	97	489	0	0.48	0.48	0	0	0	0.48
Durukasmar	97	500	0	0.69	0.69	0	0	0	0.69
Total Durukasmar			16.90	78.05	94.95	10.20	0	6.70	78.05
BARUGHUTU	48	1	0	18.47	18.47	0	0	0	18.47
BARUGHUTU	48	14(P)	0	0.08	0.08	0	0	0	0.08
BARUGHUTU	48	32	0	1.57	1.57	0	0	0	1.57
BARUGHUTU	48	43	0	3.75	3.75	0	0	0	3.75
BARUGHUTU	48	59	0	0.12	0.12	0	0	0	0.12
BARUGHUTU	48	66	0	0.03	0.03	0	0	0	0.03
BARUGHUTU	48	76	0	1.48	1.48	0	0	0	1.48
BARUGHUTU	48	78	0	0.39	0.39	0	0	0	0.39
BARUGHUTU	48	85	0	0.46	0.46	0	0	0	0.46
Total			0.00	26.35	26.35	0.00	0	0	26.35
Tapin	1	395	1.15	0.00	1.15	1.15	0	0	0
Tapin	1	400	1.25	0.00	1.25	1.25	0	0	0
Total			2.40	0.00	2.40	2.40	0	0	0
Parej+Durukasmar+ Barughutu+Tapin		(Acre)	131.8	242.87	374.67	125.1	0	6.7	242.87
		(Ha)	53.33	98.29	151.62	50.63	0	2.71	98.29

ABSTRACT OF FOREST LAND & GM JJ LAND
PAREJ EAST OPENCAST PROJECT (LAND AS PER RPR)
HAZARIBAGH AREA, CCL

VILLAGE	NOTIFIED FOREST LAND (Acre)	GM Jungle Jhadi (Acre)	Diverted	Proposed for renewal	NEW PROPOSAL TO BE DIVERTED		REMARKS
			7.10 Forest Clearance (Acre)	43.52 Forest Clearance (Acre)	Notified FOREST (Acre)	GM Jungle Jhadi (Acre)	
Parej	112.5	138.47	17.55	94.95	0	138.47	1) FC 7.1 Ha Vide letter no. 8-209/91-FC dt.17.07.2008 2) FC 43.52 Ha Vide letter no. 8-209/91-FC dt.12.02.1992 New Proposal No. FOR FC 43.52 Ha FP/JH/MIN/3552 /2013 3) 2.71 Ha of Forest land has been diverted before 1980, its renewal is required.
Durukasmar	16.9	78.05	0	10.2	6.7	78.05	
Barughutu	0	26.35	0	0	0	26.35	
Tapin	2.4	0	0	2.4	0	0	
TOTAL (In Acre)	131.8	242.87	17.55	107.55	6.7	242.87	
Total (In Ha)	53.33	98.29	7.1	43.52	2.71	98.29	

FOREST LAND TO BE DIVERTED =2.71 Ha

GM JJ LAND TO BE DIVERTED = 98.29 Ha

(Conversion factor from Acre to hectare :- 1 acre = 0.404685642 hectare)

(Note: it is a part of authentic land Shedule of Parej East OCP by Circle Officer, Mandu.)


Surveyor
PEOCP


Dy. Manager (M)/(L&R)
PEOCP


Manager
PEOCP


Project Officer
PEOCP

आज दिनांक 15.01.2019 को ग्राम पंचायत के सामुदायिक मंच में संबंधित ग्राम पंचायत की प्रमुख - हीमती चंद्रमणी देवी कि अध्यक्षता में वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत एक आम सभा का आयोजन किया गया जिसमें वनाधिकार समिति के अध्यक्ष, सचिव, सी.सी. एवं पदाधिकारी एवं स्थानीय ग्रामिण उपस्थित हुए।
अचिता देवी

[Signature]
15/01/19
B. Choudhary

[Signature]
15/01/19
समा. अध्यक्ष

उपस्थित ग्रामिणों के हठ
मोहन सिंह कपूर

अवधूत कुमार
मुखिया प्रतिनिधि
वनाधिकार

- 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - 8
 - 9
 - 10
 - 11
 - 12
 - 13
 - 14
 - 15
 - 16
 - 17
 - 18
 - 19
 - 20
 - 21
- मो. अजीम

(22) H.T. Bhat

(23) Hemant Kumar

(24) H. G. Meo

(25) Prad. S. S. S. S. S.

(26) P. D. S. S. S. S. S.

(27)  L. T. S. S. S. S. S.
Chhatra M. S. S. S. S.

(28) T. S. S. S. S. S.

(29) 

(30) S. S. S. S. S. S.

(31) S. S. S. S. S. S.

(32) S. S. S. S. S. S.

(33) S. S. S. S. S. S.

(34) S. S. S. S. S. S.

(35) S. S. S. S. S. S.

(36) Mahesh S. S. S.

(37) S. S. S. S. S. S.

(38) S. S. S. S. S. S.

(39) S. S. S. S. S. S.

(40) S. S. S. S. S. S.

(41) S. S. S. S. S. S.

(42) S. S. S. S. S. S.

(43) S. S. S. S. S. S.

(44) S. S. S. S. S. S.

(45) S. S. S. S. S. S.

(46) S. S. S. S. S. S.

(47) S. S. S. S. S. S.

(48) S. S. S. S. S. S.

(49) S. S. S. S. S. S.

प्रस्ताव - 1 आज आयोजित वनधिकार अधिनियम-2006 की अद्यक्षता श्री मती चंद्रमणी देवी प्रमुख पंचायत परेज में कि गई आम सभा में मौजा परेज के गैर मजरुआ खास जंगल भाड़ी में न्यर्चा की गई भूमिकविवरण निम्न है।

संलग्न भूमि विवरण
गैर मजरुआ खास जंगल-भाड़ी

मौजा	वागा नं०	खाला नं०	प्लॉट-नं०	गैर मजरुआ खास भाड़ी रकबा (है०)
परेज	117	01	01	20.66
			02	8.75
			07	8.76
			08	1.39
			09	2.91
			10	3.80
			21	1.54
			88	0.38
			143	0.03
			171	7.66
			175	8.27
			185	0.38
			203	5.59
			205	13.41
			212	0.21
			219	0.04
			221	0.13
			231	20.22
			265 (P)	29.63
			266 (P)	4.71

138.47 एकड़ (56.06 है०)

(51) कराम माँझी

(52) उपन्द्र तुरी

(53) नीरव मिहं

(54) तंली माँझी

(55) लखन मिहं

(56) जाली ला

(57) राजकुमार साव

(58) मिश्रान मुयां

(59) रामचंद्र ठाकुर

(60) लखन

61 मुकरा नाथक

62 फरख तुरी

63 लखन मिहं

64 रामचंद्र तुरी

65 लखन तुरी

(66) मुकरा मदीती

(67) Subender mehta

(68) लखन नाथक

(69) मनीज कुमार

(70) राजेश कुमार

(71) उपन्द्र गंडु

(72) कराम माँझी

(73) लखन ठाकुर

(74) लखन मदीती

प्रस्ताव (१) ग्रामिणों ने सर्व समिति से निर्णय लिया है कि 'उपरोक्त' निर्णय खाता ब्लॉक एवं रकबा 138.47 एकड़ (56.06 हे०) भूमि पर कार्य करेंगे में हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है और न ही कोई ग्रामिणों द्वारा दावा संबंधित कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया।

उपरोक्त खाता ब्लॉक एवं रकबा में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य प्रमथणात वग वासी अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वग भूमी उपगोत्रण को प्रस्ताव के उद्देश्य एवं विस्तृत विवरण को समझते हुए प्रस्तावित उपगोत्रण पर स्वयं समिति प्रदान की गई तथा उपरोक्त प्रस्तावित खाता ब्लॉक एवं रकबा 138.47 एकड़ (56.06 हे०) सहमति प्रदान की गई।

और सभी ग्रामिणों को हजम्वद देते हुए ग्राम सभा की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

(1)

[Signature]
C.I. Mandal
15/11/19
अतिरिक्त सचिव कार्यवाही

[Signature]
15/11/19

(ii) श्री जयेश शर्मा (जोसेकर)

[Signature]
G. Ram
अचिता देवी
मुखिया

(iii) मुखिया

अनुपम एससी
मुखिया

उपस्थित वग अधिकार समिति एवं पंचायत समिति सदस्य

(iv) वग अधिकार समिति अध्यक्ष गो० प्रसाद उन्सारी
परज

वग अधिकार समिति

(v) वग अधिकार समिति सचिव श्री १५/११/१९
परज

(vi) परिगोत्रण पदाधिकारी (PEOCP)

(vii) सहाय्य ऑफिसर (पी०एस०पी०)

Signature

[Signature]
15/11/19

(VII) सहायक ऑफिसर (सहा. सहा. आर. सहा.)

(VIII) गौडन ऑफिसर (गौडन विभाग) -

19/11/19

19/11/19

द्वितीय प्रति : वन अधिकार समिति के लिए

क्र. सं.

सामुदायिक अधिकार दावा प्रारूप (निःशुल्क)

भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय

प्रारूप ख

सामुदायिक अधिकारों के लिए दावा प्रारूप

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2008
का नियम 11(1) (क) और 11 (4) देखें।

1. दावेदार (रों) का/के नाम

(क) एफ.डी.एस.टी. (अनुसूचित जनजाति वन निवासी) समुदाय : हाँ/नहीं

(ख) ओ.टी.एफ.डी. (अन्य परम्परागत वन निवासी) समुदाय : हाँ/नहीं

2. ग्राम :

3. पंचायत :

4. प्रखण्ड /अंचल :

5. जिला :

प्रयोग किए गए सामुदायिक अधिकारों का स्वरूप :-

1. सामुदायिक अधिकार जैसे निस्तार, यदि कोई हो :
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ख) देखें)

2. गौण वन उत्पादों पर अधिकार, यदि कोई हो :
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ग) देखें)

3. सामुदायिक अधिकार

(क) उपयोग या पात्रता (मछली , जलाशय)
यदि कोई हो :

(ख) चरने हेतु , यदि कोई हो :

(ग) पारम्परिक संसाधनों तक यायावरों और
पशुपालकों की पहुँच , यदि कोई हो ,
(अधिनियम की धारा 3 (1) (घ) देखें)

4. पी.टी.जी. (अल्पसंख्यक आदिम जनजाति) व कृषि पूर्व समुदायों के लिए प्राकृतिक.....
वास और पुर्ववास की सामुदायिक अवधियाँ
यदि कोई हो:
अधिनियम की धारा 3 (1) (ड) देखें)
5. जैव विविधता तक बौद्धिक संपदा और पारंपरिक.....
ज्ञान तक पहुँच का अधिकार, यदि कोई हो :
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ट) देखें)
6. अन्य पारम्परिक अधिकार, यदि कोई हो :
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ठ) देखें)
7. समर्थन में साक्ष्य
(नियम 13 देखें)
8. अन्य कोई सूचना :

मध्यम,
आदिम जनजाति का निपटारा
जोड़ा धारा 30 खसरा
परम 117 1

G. Remy
15/01/19
B.O Chasi

अचिता देवी

098
य-5401149
15/1/19

15/1/19

15/1/19

मंडल	मंडल भाग	मंडल भाग (संगत) (रं)
1	20.66	
2	8.75	
7	8.76	
8	1.39	
9	2.91	
10	3.80	
21	1.54	
88	0.38	
143	0.03	
171	7.66	
175	8.27	
185	0.38	
202	5.57	
205	13.41	
212	0.21	
219	0.04	
दावेदार (रं) के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान		
221	0.13	
231	20.22	
265 P	29.63	
266 P	4.71	
कुल	138.47	138.47

जन अधिकार समिति का अध्यक्ष (प्र)
प्रति मुख्यांक उत्तरांचल
जन अधिकार समिति

जन अधिकार समिति का समीक्ष (प्र)
प्रति मुख्यांक उत्तरांचल
सचिव
जन अधिकार समिति

आज दिनांक 15/01/19 को आय कृतकगमार
के लिये प्रा. म. विद्यालय और गार, बेलवा रोड में
संविधान आय संस्करण के मुद्रित भी दिनांक
महो की अध्यक्षता में स्वादितार कलिनियम 200
के लिये एक आय 200 को आयोजित किया गया।
विषय स्वादितार समिति के अध्यक्ष, जीवन जी. जी. जी.
के लिये एक स्वादितार समिति 200 का एक।

(Signature)
15/1/19
2.10.2018

स्वदितार समिति

स्वदितार समिति
पुनः विचार करने पर एक समिति
गार - 200 का एक

1) राजेश शंकर
2) सुनील शर्मा

3) विपिन शर्मा

4) मनीष शर्मा

5) वकील मद्रास

6) अरवि शर्मा

7) Naresh Kumar

8) विपिन शर्मा

9) Karan Kishore

10) Jagdeep Kishore

11) Ashok Kumar

(Signature)
15.1.19
B. C. Chaur

(12) जगना सुंदर

31

(13) Ramesh Agarwal

32

(14) लालनारी मालवी

33

(15) विष्णु नाथ-दत्त

34

(16) सिखन लाल

35

(17) महादेव देव

36

(18) रूप लाल मुर्मु

37

(19) शिव जी डेड

38

(20) Anuj Kishu

39

(21) सुखलाल मीर

40

(22) विवेकानंद

41

(23) Prakash Tuli

42

(24) Anesh Chandra

43

(25) Anil Agarwal

44

(26) Dr. Anil Kumar

45

(27) Anil Kumar

46

(28) Anil Kumar

47

30 Ramchhi

31 गीतन कु मंगल

32 Sushma Singh

33 गोमी लाल देवसिम

34 Dasaram Nanda

35  मोहि राम गोखले

36 Chandan Kisku

37 पिना दे रिश

38  बुद्धा मोडा

39 Shrinine Chakraborty

40 Govind Pr.

41 रावपुरा

42  भादो मोडा

43  Radhika

44 Ganesh Kisku 15/01/2019

45 

46 Sanjay Tishy

Q1. 25/4/2022

Q2. Sirish Verma — क्या अधिकार अधिकृत

Q3. Purnima Sen — 

Signature of Purnima

प्रस्ताव नं. 1 आज आयोजित वनधिकार अधिनियम: 2006 की
अवज्ञता श्री निर्मल महतो मुखिया पंचायत
दुरु कसमार में की गई आम सभा में मैला
दुरु कसमार के वन भूमि एवं गैर मजसुवा
जंगल भाड़ी की चर्चा की गई जिसकी भूमि
विवरण निम्न है।

संलग्न भूमि विवरण:-

गैर मजसुवा बवास (जंगल भाड़ी)

पंचायत	वार्ड नं.	प्रस्ताव नं.	हॉट नं.	वन भूमि	गैर मजसुवा जंगल भाड़ी रकबा
दुरु कसमार	108	61	48		0.31
			50		0.48
			303		0.34
			305(P)		0.30
			309		0.82
			314	0.050 (0.50)	11.16
			326	6.020 (6.00)	4.51
			328		12.10
			339		0.17
			01		14.80
			33		0.20
			35		0.48
			47		0.14
			62		1.23
			64		0.30
			71		0.42
			74		0.09
			99		0.19
			113		7.50
			227		0.24
			232		0.24
			239		0.80
			240		0.85
			252		0.36

Signature

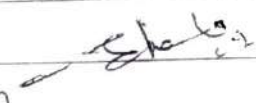
मैला	व्यागा नं०	खाला नं०	प्लॉट नं०	वन भूमि	और मजदूरी का भाड़ा रकवा
पुरुकसमार	108	61	266		0.25
			302		0.28
			384		0.13
			387		0.13
			389		0.43
			396		0.69
			414		1.14
			440		15.70
			489		0.48
			500		0.69
			Total	6.70	78.05

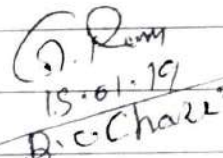
प्रस्ताव (2) - ग्रामिणों ने एवं स्व ममति से निर्णय लिया कि उपरोक्त वर्णित खाला, प्लॉट, रकवा 78.05 भूमि पर कार्य करने में हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है और ना ही कोई ग्रामिणों द्वारा दावा सम्बन्धि कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया।

प्रस्ताव (3) वन भूमि उपभोजन का प्रस्ताव प्रस्तावित क्षेत्र में पड़ने वाले वन निवासियों के ग्राम स्वभा के समक्ष रखा गया परिभोजन विस्तृत तथा अनुमती प्रमाण के सम्बन्ध में वस्तु स्थिति व्यापक भाषा एवं मान्य भाषा में ग्राम स्वभा को व्याख्यान कर दिया गया है।

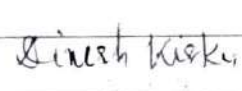
उपरोक्त खाला, प्लॉट एवं रकवा में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन वासी

आदिनिगम- 2006 के अन्तर्गत वन भूमि अपभोजन को प्रस्ताव के उद्देश्य एवं विस्तृत विवरण को सम्मोचन दुर प्रस्तावित अपभोजन पर सर्व समति प्रदान की गई तथा उपरोक्त प्रस्तावित खाना खांटे एवं स्क्वा 48.05 एकड़ सहमति प्रदान की गई।
और सभी ग्रामिणों को धन्यवाद देते हैं।
दुरे ग्राम सभा की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

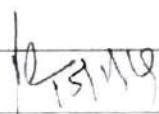
(i) अंचल निरीक्षक (माधु) 
उपस्थित राजस्व कमिचारी

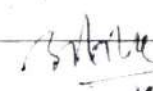
(ii) श्री गनेश राम (फोरस्टर) 
15.01.19
B.C. Chauri

उपस्थित वन अधिकारी समिति एवं पंचायत समिति सदस्य

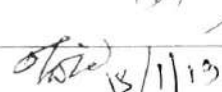
(iii) वन अधिकार समिति अध्यक्ष -  Anand Kumar

(iv) वन अधिकार समिति सचिव -

(v) परिभोजन सदाधिकारी (PECCP) -  P. J. Singh

(vi) स्टॉफ ऑफिसर (पी० एड० पी०)  S. K. Singh
15/01/19

(vii) स्टॉफ ऑफिसर (एल० एड० आर०)  S. K. Singh
15/01/19

(viii) नौडल ऑफिसर (पर्यावरण)  S. K. Singh
15/01/19

भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय
प्रारूप ख

सामुदायिक अधिकारों के लिए दावा प्रारूप

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2008
का नियम 11(1) (क) और 11 (4) देखें।

1. दावेदार (रों) का/के नाम

(क) एफ.डी.एस.टी. (अनुसूचित जनजाति वन निवासी) समुदाय : हाँ/नहीं

(ख) ओ.टी.एफ.डी. (अन्य परम्परागत वन निवासी) समुदाय : हाँ/नहीं

2. ग्राम :

3. पंचायत :

4. प्रखण्ड /अंचल :

5. जिला :

प्रयोग किए गए सामुदायिक अधिकारों का स्वरूप :-

1. सामुदायिक अधिकार जैसे निस्तार, यदि कोई हो :
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ख) देखें)

2. गौण वन उत्पादों पर अधिकार, यदि कोई हो :
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ग) देखें)

3. सामुदायिक अधिकार
(क) उपयोग या पात्रता (मछली , जलाशय)
यदि कोई हो :

(ख) चरने हेतु , यदि कोई हो :

(ग) पारम्परिक संसाधनों तक यायावरों और
पशुपालकों की पहुँच , यदि कोई हो ,
(अधिनियम की धारा 3 (1) (घ) देखें)

4. पी.टी.जी. (अल्पसंख्यक आदिम जनजाति) व कृषि पूर्व समुदायों के लिए प्राकृतिक.....
वास और पुर्ववास की सामुदायिक अवधियों
यदि कोई हो:
अधिनियम की धारा 3 (1) (ड) देखें
5. जैव विविधता तक बौद्धिक संपदा और पारंपरिक
ज्ञान तक पहुँच का अधिकार, यदि कोई हो :
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ट) देखें)
6. अन्य पारम्परिक अधिकार, यदि कोई हो :
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ठ) देखें)
7. समर्थन में साक्ष्य
(नियम 13 देखें)
8. अन्य कोई सूचना :

महाराष्ट्र

अनादिवासी भूमि का विवरण	खसरा	काल	वन भूमी	गैर भूजल का जंगल भागी	प्राप्त खसरा	काल	वन भूमी	गैर भूजल का जंगल भागी
68	48	-	-	0.31 एअर	दुसकागा	61	302	0.28 एअर
	50	-	-	0.48 "			384	0.13 "
	303	-	-	0.34 "			387	0.13 "
	305 P	-	-	0.30 "			389	0.42 "
	309	-	-	0.82 "			396	0.67 "
	314	0.50	-	11.16 "			414	1.14 "
	326	6.20	-	4.51 "			440	15.70 "
	328	-	-	12.10 "			489	0.48 "
	329	-	-	0.17 "			500	0.67 "
	01	-	-	14.80 "				19.67 एअर
	33	-	-	0.20 "				गैर भूजल का जंगल भागी
	35	-	-	0.48 "				
	47	-	-	0.14 "				
	62	-	-	1.23 "				
	64	-	-	0.30 "				
	71	-	-	0.42 "				
	74	-	-	0.09 "				
	99	-	-	0.19 "				
	113	-	-	7.50 "				
	227	-	-	0.24 "				
	232	-	-	0.34 "				
	239	-	-	0.80 "				
	240	-	-	0.85 "				
	252	-	-	0.36 "				
	266	-	-	0.25 "				
				6.70 एअर				58.38 एअर

कुल 58.38 + 19.67 एअर
गैर भूजल का जंगल भागी - 78.05 एअर
दावेदार (री) के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

वन अधिकार संहिता सचिव -

वन अधिकार समिति अध्यक्ष - Binod Kishore
(दुरुहस्तार)

G. Kishore, 19
B. O. Chavhan

6/6/19

जब दिनांक 15/04/2019 को माग वाकबुद्ध के
 व्यक्तिगत गृहस्थ पिछातर वाकबुद्ध के गैरआवासीय सभा
 का आयोजन किया गया, जिसका अध्यक्षता -
 श्री जगदीश शर्मा ने की, और उसका प्रस्ताव -
 श्री अनिल कुमार ने की जिसका उद्देश्य का-
 अधिकार, जन अधिकार सन् 2006 के तहत
 सभा आयोजन किया गया जिसमें जन अधिकार
 अधिकार, अदालत जन अधिकार, आवासीय प्रतिक्रिया एवं
 आवासीय को उपस्थित :-

इस स्थिति में 20 कार्यकारी
 सदस्य (जगदीश शर्मा)
 अध्यक्षता

अध्यक्ष जन विभाग अधिकारी - श्री. राजेश

श्री. जगदीश शर्मा - जन अधिकार अधिकारी श्री. वाकबुद्ध शर्मा

अध्यक्ष जन प्रतिनिधि

श्री. राजेश शर्मा

आयोजन के
 मुखिया
 वाकबुद्ध शर्मा
 वाकबुद्ध शर्मा

श्री. राजेश शर्मा सिंह मोगला
 श्री. राजेश शर्मा सिंह मोगला
 श्री. राजेश शर्मा सिंह मोगला

अध्यक्ष श्री. सी. सी. सी. के अधिकारी

परियोजना पदाधिकारी पद
 श्री. यु. एस. सिंह (50 (P4P)

श्री. राजेश शर्मा सिंह

श्री. राजेश शर्मा सिंह (P4P) (P4P) (P4P)

श्री. रा. रम. रम. रम.
श्री. रम. रम. रम.
श्री. रम. रम. रम.
श्री. रम. रम. रम.
श्री. रम. रम. रम.

Handwritten signature
Ramesh Kumar

श्री. रम. रम. रम.

1. श्री. रम. रम. रम.
2. श्री. रम. रम. रम.
3. श्री. रम. रम. रम.
4. श्री. रम. रम. रम.
5. श्री. रम. रम. रम.
6. श्री. रम. रम. रम.
7. श्री. रम. रम. रम.
8. श्री. रम. रम. रम.
9. श्री. रम. रम. रम.
10. श्री. रम. रम. रम.
11. श्री. रम. रम. रम.

श्री. रम. रम. रम.

Handwritten signature
Ramesh Kumar

12. Satyendra Prasad
13. Anand Prasad
14. Anand Prasad
15. Ramesh Kumar
16. Ramesh Kumar
17. Ramesh Kumar
18. Ramesh Kumar

Handwritten signature
Ramesh Kumar

Handwritten signature
Ramesh Kumar

19. Anand Prasad
20. Anand Prasad
21. Anand Prasad

Handwritten signature
Ramesh Kumar

22. Anand Prasad
23. Anand Prasad
24. Anand Prasad

Handwritten signature
Ramesh Kumar

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

P

25 Janak prasad

Janak prasad

26/ Hemesh Singh Bhogta

Hemesh
15/08/2015

27/ Aditya Kumar

Aditya

28/ Dineshwar Prasad

Dineshwar

(29) Karan Singh

Karan

(30) Piyu Saw

Piyu Saw

(31) Talashwar Prasad

T. Prasad

(32) Prakash Kumar

Prakash

(33) Pintu Prasad

P. Prasad

(34) Balu Sahu

B.

35 विनय कुमार

36 विक्रम कुमार

विक्रम कुमार

37 chota sahu

C. Sahu

(38) मनीष साह

मनीष साह

(39) राहुल साह

Rahul Sahu

(40) प्रथम मुंडा

प्रथम मुंडा

(41) रवींद्र मुंडा

रवींद्र मुंडा

(42) पित्तल मुंडा

पित्तल मुंडा

(43) दुर्गा मुंडा

दुर्गा मुंडा

(44) प्रीति

प्रीति

(45) Pawan Kumar

Pawan Kumar

(46) Prakash Kumar

Prakash Kumar

(47) Shubham Prasad

Shubham

(48) Sumit Kumar

Sumit Kumar

(49) ABHINAV PRASAD

A.P.

(50) VIKAS KUMAR

Vikas

(51) Sunny Prasad

S. Prasad

(52) TULSI Saw

Tulsi Saw

(53) देवना देवी

देवना देवी



पुस्तक संख्या

प्रतिका

54	हैपरी देवी		
55	Prakash Kumari	Prakash Kumar	
56	Nikhil Sahu	Nikhil Sahu	
57	Bhaskar Prasad	Bhaskar Prasad	
58	Shubham Kumar	Shubham Kumar	
59	पिंकी देवी	पिंकी देवी	
60	जसोदा देवी	जसोदा देवी	
61	हृदय देवी	हृदय देवी	
62	आरती देवी	आरती देवी	
63	रंजनी देवी	रंजनी देवी	प्रतिका
64	रेनु देवी	रेनु देवी	
65	ललीया देवी	ललीया देवी	
66	नागेश्वर प्रसाद	नागेश्वर प्रसाद	
67	हरिचन्द्र साव	हरिचन्द्र साव	
68	पदुम साव	पदुम साव	
69	मो. Saleem	मो. Saleem	आय
70	लक्ष्मी साव		

work

Page No. _____
Date _____

प्रस्ताव-1

प्रस्ताव-1 आवाज दिनीक 15/01/2019 को वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत आयोजित सभा में मौज्जा-वाकबुद्ध के गैरगणलडा-वास, जंगल-काडी कोविस्तीत वितरणी तथा अनुप्रर्गो प्रमाण में सम्भव्य में माह-भावा में चर्चा किई गई। इस माग सभा में अनापने प्रमाण पत्र देने हेतु उपस्थित, प्रागोणीों द्वारा सर्व सहमति में दी गई।

समाप्त

धन

उक्त वर्णीत भूमि का वितरण निम्न है:-

Prasad	मौजा	धानान	खतता सी	लॉटेसॉ	गैर गणलडा वास (जंगल-काडी सभा (एकड़ में))
	वाकबुद्ध	118	48	01	18.47
1. Kuma				14(9)	0.08
				32	1.57
				43	3.15
				59	0.12
				66	0.03
				76	1.48
				78	0.39
				85	0.46
				Total	26.35

देवी

देवी

देवी

प्रस्ताव-2 उपरोक्त खतता, लॉट एवं खतता में अनुसूचित जन-जाति एवं अन्य परम्परागत जन-जाती (वन अधिकारी को माफ्यता) अधिनियम 2006 एवं अधिनियम 2008 अन्तर्गत वन भूमि आपायेन को प्रस्ताव के उद्देश्य एवं विस्तर वितरणी को सम्भर्तने हेतु प्रस्तावित आयोजन पर सर्व सहमति प्रदान की गई तथा उपरोक्त प्रस्तावित खतता, लॉट एवं खतता 26.35 एकड़ भूमि (जंगल-काडी सहमति प्रदान की गई) उक्त भूमि पर कार्य करने में प्रागोणीों को कोई आपाते नहीं है।

साध

व

G. K. Chari

अध्यक्ष देवी

सचिव देवी

जगदीश साहू
माग सभा अध्यक्ष

मकुल साहू, मोमैयर वि. उन्नावन समिति अध्यक्ष (वाकबुद्ध)
गंगा मुखिया प्रतिनिधि पूर्व (जंगल-काडी)

वाकबुद्ध उन्नावन (भाग-1)

2019-2020

Signature

उपरिष्ठत स्त्री. जी. एवं अधिकारी

23

डी यू. एस. सिंह Sc (P.S.)

अधीन

24

रम जी. सिंह

22.11.19

25

रम रत सिंह

अधीन

26

4 श्रीग यादव

अधीन

27

5 पार्श्व अग्रवाल

अधीन

28

6 रम के. सिंह अग्रवाल अग्रवाल

अधीन

29

7 रम के. पाण्डे

अधीन

30

अग्रणीक -

31

1 बाटो साव

32

2 अग्रवाल प्रसाद

33

3 मेरठ साव

34

4 शौरभ प्रसाद

35

5 अग्रवाल अग्रवाल

36

6 अग्रवाल अग्रवाल

37

7 Dineshwar Prasad

38

8 अग्रवाल अग्रवाल

39

9 अग्रवाल अग्रवाल

40

10 अग्रवाल अग्रवाल

41

11 Abhishek

42

12 अग्रवाल अग्रवाल

43

13 अग्रवाल अग्रवाल

44

14 अग्रवाल अग्रवाल

45

15 अग्रवाल अग्रवाल

46

16 अग्रवाल अग्रवाल

47

17 अग्रवाल अग्रवाल

48

18 अग्रवाल अग्रवाल

49

19 अग्रवाल अग्रवाल

50

20 अग्रवाल अग्रवाल

51

21 अग्रवाल अग्रवाल

52

22 अग्रवाल अग्रवाल

53

23. ...
 24. ...
 25. ...
 26. ...
 27. ...
 (28) ...
 (29) ...
 (30) ...
 31. ...
 (32) ...
 (33) ...
 (34) ...
 (35) ...
 (36) ...
 (37) ...
 (38) ...
 (39) ...
 (40) ...
 (41) ...

(42) ...

(43) ...

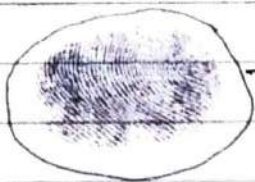
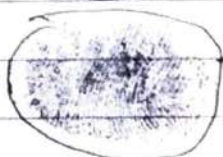
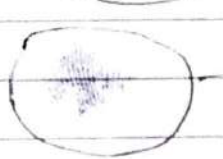
(44) ...

(45) ...

(46) ...

(47) ...

(48) ...

- (49) Shukham Kumar
- (50) पिंकी देवी
- (51) श्री परसादा देवी
- (52) देवन्ती देवी
- (53) आरुणी देवी
- (54)  - अंजली देवी
- (55)  - रेनु देवी
- (56)  - ललीय देवी
- (58) श्री नागेश्वर प्रसाद
- (59) हरिचन्द्र साव
- (60) पद्मा साव
- (61) Mot Saker
- (62) Phajal Mishra

और सभी प्राणी को बचता है उसे हम सब-
समा की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आयता देवी
अखिया
Signature:  उतरी
बाण्डू, रामगढ़

भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय

प्रारूप ख

सामुदायिक अधिकारों के लिए दावा प्रारूप

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2008

का नियम 11(1) (क) और 11 (4) देखें।

1. दावेदार (रों) का/के नाम

(क) एफ.डी.एस.टी. (अनुसूचित जनजाति वन निवासी) समुदाय : हाँ/नहीं

(ख) ओ.टी.एफ.डी. (अन्य परम्परागत वन निवासी) समुदाय : हाँ/नहीं

2. ग्राम :

3. पंचायत :

4. प्रखण्ड /अंचल :

5. जिला :

प्रयोग किए गए सामुदायिक अधिकारों का स्वरूप :-

1. सामुदायिक अधिकार जैसे निस्तार, यदि कोई हो :
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ख) देखें)

2. गौण वन उत्पादों पर अधिकार, यदि कोई हो :
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ग) देखें)

3. सामुदायिक अधिकार

(क) उपयोग या पात्रता (मछली , जलाशय)
यदि कोई हो :

(ख) चरने हेतु , यदि कोई हो :

(ग) पारम्परिक संसाधनों तक यायावरों और
पशुपालकों की पहुँच , यदि कोई हो ,
(अधिनियम की धारा 3 (1) (छ) देखें)

4. पी.टी.जी. (अल्पसंख्यक आदिम जनजाति) व कृषि पूर्व समुदायों के लिए प्राकृतिक वास्त और पुर्ववास्त की सामुदायिक अवधियों यदि कोई हो: _____
अधिनियम की धारा 3 (1) (ड) देखें
5. जैव विविधता तक वैदिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान तक पहुँच का अधिकार, यदि कोई हो : _____
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ट) देखें)
6. अन्य पारम्परिक अधिकार, यदि कोई हो : _____
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ठ) देखें)
7. समर्थन में साक्ष्य _____
(नियम 13 देखें)
8. अन्य कोई सूचना : _____
(1) _____

अधिनियम 22 की शांति

(1)

शान	शान	लगाव	खेती (ए.) में
बारुघुट्ट	248	1	18.44
		14(0)	0.08
		32	1.57
		43	3.75
		59	0.012
		66	0.03
		76	1.48
		78	0.39
		85	0.46
			26.35 ए०

दावेदार (यों) के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

अधिनियम 22 की शांति
अधिनियम 22 की शांति
अधिनियम 22 की शांति
अधिनियम 22 की शांति
अधिनियम 22 की शांति

G. Ram
15.01.19
B. C. Chavan

अध्यक्ष

जन अधिकार समिति

(जन समिति अध्यक्ष) बारुघुट्ट

अधिका रेवी
मुखिया
बारुघुट्ट उत्तरी
पाण्डू, रामगढ़